जिलास्तरीय ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों हेतु निर्देश

समयसारिणी एवं प्रक्रिया :

- जिलास्तर ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग हेतु आवेदन दिये जाने, मैरिट सूची प्रकाशन तथा तत्क्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में समयसारिणी निम्नवत् रहेगीः–

कम सं0	गतिविधि	तिथियां	विवरण
1	प्रवेश हेतु वांछित जनपद के किसी भी संस्थान में आवेदन भरे जाने की तिथि	07.09.2023 से 14.09.2023 तक	संस्थान में प्रवेश हेतु समस्त मूल प्रमाण पत्रों तथा एक–एक छायाप्रति के साथ शुल्क सहित निर्धारित तिथियों में प्रवेश न लिये जाने की स्थिति में सीट को रिक्त मान लिया जायेगा।
2	जनपद के संस्थानों में व्यवसायवार प्रवेश हेतु मैरिट सूची का प्रकाशन	16.09.2023	
3	ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग में प्रवेश लिये जाने की तिथि	18.09.2023 से 19.09.2023 तक	

अवशेष सीटों के सापेक्ष राज्य के 13 जिलो के समस्त नोडल संस्थानों में ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया 18.09.2023 से 19.09.2023 तक प्रातः 10:30 बजे से साय 06:00 बजे तक समस्त प्रतिभागी आवेदकों के प्रक्रिया में सम्मिलित होने अथवा समस्त सीटें भरे जाने, जो भी पूर्व में हो तक सम्पन्न की जायेगी।

- ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी जनपद के किसी भी संस्थान से इस हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करते हुये जमा करेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की छायाप्रति भी जमा करनी अनिवार्य होगी।
    - समस्त शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख।
    - मूल निवास / स्थाई निवास प्रमाण पत्र
    - आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र
    - आधार कार्ड की छायाप्रति
    - नवीनतम पासपोर्ट फोटो (6 फोटो)
    - ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट (यदि पूर्व में आवेदन किया गया हो)
    - पूर्व से किसी व्यवसाय / संस्थान में प्रवेशित होने की स्थिति में पूर्व प्रवेशित सीट को रिक्त किये जाने सम्बन्धी घोषणा प्रपत्र तथा नाम पृथक किये जाने सम्बन्धी संस्थान का आदेश।
    - राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क (प्रवेश की स्थिति में)

- ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग के लिये आवेदक को नोडल संस्थान में नियत तिथि व समय पर अपने मूल प्रमाण पत्र व उनकी एक–एक छायाप्रति के साथ स्वयं आना अनिवार्य होगा, ताकि आवंटन पश्चात् त्वरित रूप से प्रवेश सम्पन्न किया जा सके।
- ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी को मैरिट के अनुसार क्रमवार बुलाये जाने पर अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने की स्थिति में, उससे अगले मैरिट के अभ्यर्थी को बुलाया जायेगा तथा ऐसी स्थिति में प्रवेश न मिल पाने की समस्त जिम्मेदारी छूट गये अभ्यर्थी की होगी।

ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग हेतु सीटें

- दो चरणों की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के सापेक्ष संस्थानवार/व्यवसायवार / आरक्षणवार भरी सीटो के पश्चात् अवशेष सीटों हेतु जिलास्तर पर नोडल संस्थान परिसर में जिले की समस्त संस्थानावार / व्यवसायवार सीटों के लिये जिलास्तरीय ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।
- जिलास्तरीय ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग हेतु संस्थानवार व्यवसायवार उपलब्ध सीटों का आरक्षण वर्गवार विभाजन कर प्रदेश के नोडल संस्थानो को उपलब्ध कराया जा रहा है, प्रवेश की कार्यवाही उक्त रिक्त सीटों के अनुसार ही किये जायेगें। उक्त अवशेष सीटों के विवरण को परिषद की वेवसाईट पर भी अपलोड किया गया है।

पात्रता

- **पूर्व के दो ऑनलाइन आवंटनों में प्रथम विकल्प प्राप्त होने तथा प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**
- ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग में पूर्व में ऑनलाईन आवेदन करने से वंचित अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यर्थी से निर्धारित आवेदन शुल्क लिया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर चुके समस्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अपने प्रथम विकल्प के अनुरूप सीट पूर्व में आवंटित हुई हो तथा उनके द्वारा तदनुसार प्रवेश लिया जा चुका हो, को छोड़कर अन्य सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर चुके शैक्षिक रूप से व्यवसायवार अर्ह अभ्यर्थी जिलास्तरीय ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग हेतु पात्र होगे।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनको दो चरणों की ऑनलाईन काउन्सिलिंग में प्रथम विकल्प को छोडकर अन्य भरे गये विकल्पों के अनुरूप सीट पूर्व में आवंटित हुई तथा उनके द्वारा तदनुसार प्रवेश लिया जा चुका, को वर्तमान काउन्सिलिंग में इस प्रतिबन्ध के अधीन सम्मिलित किया जायेगा कि पूर्व में आवंटित तथा तत्क्रम में प्रवेशित सीट को रिक्त कराये जाने की स्थिति में ही प्रतिभाग कर सकता है और उनके द्वारा रिक्त कराई जा रही उक्त सीट को इस काउन्सिलिंग में अन्य अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिये गणना में लिया जाये। इस स्थिति में यदि उस अभ्यर्थी को ऑन द स्पॉट काउन्सिलिंग में सीट का आवंटन नहीं हो पाया तो इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी संस्थान/स्कूल से विभिन्न व्यवसायों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत स्थित केन्द्रों के माध्यम से उत्तीर्ण एनआईओएस अभ्यर्थी भी सम्मिलित है। उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा से बाहर स्थित किसी केन्द्र से शैक्षिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को वैध स्थाई निवास प्रमाण पत्र लगाये जाने की स्थिति में पात्र माना जायेगा।
- प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष निर्धारित है। व्यवसायवार शैक्षिक अर्हता का विवरण पोर्टल पर अपलोड विवरणिका में उपलब्ध है।

शुल्क

- जिला स्तरीय ऑन दि स्पॉट काउन्सिलिंग की वर्तमान प्रक्रिया पूर्व में ऑनलाईन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों हेतु पूर्णतयाः **निशुल्क** है।
- जिला स्तरीय ऑन दि स्पॉट काउन्सिलिंग में नये ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा पूर्व में ऑनलाईन आवेदन न किया गया हो, से निर्धारित शुल्क (एसटी/एससी हेतु 250/– एवं सामान्य/ओबीसी हेतु 350/–) लिया जायेगा।